

कार्यालय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, काला दरवाजा, भोपाल – 462001

फोन : 2737341, 2543175, फैक्स : 0755-2543171

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल

विषय: मुतवल्ली/प्रबंध कमेटी का तशकील के लिए दरखास्त

जनाब मन,

म.प्र. वक्फ बोर्ड के पंजीयन क्रमांक पर वक्फ (नाम)

स्थान जिला प्रबंध हेतु मुतवल्ली/प्रबंध कमेटी की तशकील हेतु आवेदन पेश करते हैं। हमने वक्फ एक्ट एवं नियमावली का अध्ययन कर लिया है तथा हम एक्ट, नियमों एवं वक्फ बोर्ड के निर्देशों के तहत उक्त वक्फ के बेहतर प्रबंधन सेवा के लिए कार्य करेंगे।

कृपया निम्न कमेटी मुतवल्ली के विधिवत कार्य करने के आदेश जारी करने का कष्ट करें। वक्फ की जानकारी निम्नानुसार है:-

1. कुल सम्पत्ति भवन भूमि प्लॉट :
2. वार्षिक आय :
3. तय चन्दा निगरानी रू. :
4. बकाया चंदा निगरानी रू. :
5. पूर्व प्रबंध कमेटी सदर का नाम :
6. पूर्व प्रबंध कमेटी की अवधि खत्म होने की दिनांक :

इस वक्फ के इंतजाम के लिए प्रस्तावित कमेटी की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रस्तावित सदस्य का नाम मय वल्दियत	प्रस्तावित ओहदा मय-उम्र	नमूना हस्ताक्षर	निवास स्थान का पूरा पता एवं फोन नं. या मोबाईल नं.	निजी सम्पत्ति का विवरण

शपथ पत्र

हम शपथपूर्वक कथन करते हैं कि उपरोक्त वर्णित हम समस्त प्रस्तावकों द्वारा कमेटी गठन के इस प्रस्ताव के पक्ष में वक्फ बोर्ड के अनुमोदित प्रारूप अनुसार जो शपथपूर्वक घोषणा पत्र संलग्न किए गए हैं। हम उन शपथपूर्वक घोषणा पत्रों बिन्दु क्र. 1 से लगायत 17 तक समस्त कंडिकाओं का पालन करने का वचन देते हैं। हम शपथपूर्वक यह भी कथन करते हैं कि उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव अनुसार यदि वक्फ बोर्ड द्वारा हमारी कमेटी का गठन किया जाता है तो कमेटी गठन आदेश के **परिशिष्ट-1 " कार्यप्रणाली एवं शर्तें "** जो कि वक्फ बोर्ड की वेबवाइट से हमें प्राप्त हुई हैं कि समस्त कंडिकाओं का हम पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देते हैं।

स्थान :

दिनांक :

प्रस्तावित सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

- 1) 2) 3)
- 4) 5) 6)
- 7) 8) 9)
- 10) 11)

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

फा. क. /पंजी-...../2023/

दिनांक

::-गठन आदेश का परिशिष्ट 1-:: / /कार्यप्रणाली एवं शर्तें/ /

1. प्रबंध समिति वक्फ एक्ट का अध्ययन करें और उसका पालन करें।
2. आदेश प्राप्त के 30 दिवस के अंदर विधिवत चार्ज का लेनदेन करें। वक्फ स्थल पर मीटिंग लें तथा चार्ज लेन देन की सूचना स्थानीय प्रशासन को लिखित में देते हुए नमूना हस्ताक्षर वक्फ के बैंक में भेजे खाता ट्रांसफर करें या नवीन खाता खोलें। वक्फ की आय व्यय अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक/पोस्ट ऑफिस में वक्फ के नाम से खाता खोला जाए और खाता नंबर से बोर्ड को 30 दिवस के भीतर सूचित किया जाए। आदेशानुसार चार्ज न देने पर धारा 68 के तहत 6 माह तक के कारावास की सजा हो सकती है।
3. वक्फ से प्राप्त आय को पहले बैंक के ज्वाइंट खाते में जमा किया जाए। फिर खर्च के लिये बैंक से राशि निकाल कर व्यय की जाए। अन्य मद जैसे गुल्लक, जुमा, ईदुलफितर की नमाजें, कुर्बानी की खाल नीलामी एवं अन्य अवसरों पर प्राप्त/जमा चंदा-राशि भी सीधे बैंक में जमा कराई जावे फिर उसे आवश्यकतानुसार खर्च हेतु निकाला जावे। राशि 3 दिन के अन्दर बैंक में जमा कराना होगी। इसके लिये सदर/सेक्रेट्री जिम्मेदार होंगे इसके लिये सूचना भेजना होगी। वक्फ अधिनियम 1995 की धरा 44.46 एवं 72 (1) के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये बजट 31 दिसंबर तक तथा आय व्यय पत्रक 30 अप्रैल तक भेजना अनिवार्य होगा तथा वार्षिक चंदा निगरानी भी अप्रैल माह तक बोर्ड को भुगतान किया जाये।
4. यदि इस वक्फ कमेटी के खातों को अंकेक्षण लंबित है तो तीन माह के भीतर समस्त वर्षों का लंबित अंकेक्षण कमेटी इस आदेश दिनांक के तीन माह तक भीतर पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि वक्फ बोर्ड के अंकेक्षक कार्य की अधिवक्ता के कारण कमेटी के कार्यालय पर सम्पूर्ण रिकार्ड लेकर वक्फ बोर्ड भोपाल में उपस्थित होकर अंकेक्षण पूर्ण करायेंगे।
5. धारा-51 वक्फ अधिनियम 95 के तहत वक्फ संपत्ति रहन, बय, हिबा, हस्तांतरित या लीज पर बिना स्वीकृति बोर्ड नहीं दी जावे।
6. वक्फ संपत्ति पर यदि अवैध कब्जा हो तो वक्फ अधिनियम 1995 की धरा 54 के अंतर्गत आवेदन पत्र बोर्ड को तुरंत दिया जावे। कब्जेदार का नाम एवं पता सहित कब्जे की विस्तृत जानकारी दी जाये।
7. वक्फ संपत्ति की सूची देखें। मिलान करें। किरायेदारों की मीटिंग लें तथा आज के मार्केट रेट से 11 माह की किरायेदारी निर्धारण कर किरायेदारों को व एस. डी. एम. को लिखित में सूचना दें। क्योंकि संपत्ति भाड़ा नियंत्रण अधिनियम से मुक्त है। यदि किरायेदार ऐसा नहीं करता तो किरायेदारी समाप्त करें। नई दुकानों मकानों की किरायेदारी वक्फ पट्टा नियम 2014 संशोधित 2020 के प्रावधान अनुसार की जाना सुनिश्चित करें।
8. धारा 76 के अंतर्गत वक्फ की आय में से किसी को न तो कर्ज दिया जा सकता है और न ही कर्ज लिया जावे, जब तक कि बोर्ड से स्वीकृति न प्राप्त कर ली जावे।
9. वक्फ बोर्ड की बिना अनुमति के कमेटी के अधिपत्य में उपलब्ध कोई भी सम्पत्ति किसी भी तरह से किसी एजेन्सी, व्यक्ति आदि को विक्रय करना एवं नवीन सम्पत्ति का क्रय करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
10. यदि वक्फ की कृषि भूमि है तो उसकी प्रति वर्ष तहसील से सार्वजनिक नीलामी आवश्यक रूप से कराई जावे।
11. धारा 93 के तहत वक्फ से संबंधित किसी वाद में बिना अनुमति बोर्ड समझौता किया जाना अवैध होकर अमान्य होगा। सिविल न्यायालयीन विवाद होने पर वक्फ बोर्ड की ओर से भी स्वीकृति पश्चात प्रतिरक्षण करना अनिवार्य होगा। वर्तमान समय में वक्फ से संबंधित कोई विवाद प्रचलित या निर्णीत हुआ हो तो निर्णय सहित वाद प्रतिवाद पत्र की सत्य प्रतिलिपि वक्फ बोर्ड को तत्काल भेजा जाना सुनिश्चित करें। वक्फ सम्पत्तियों का रिकार्ड म.प्र. राज-पत्र एवं पंजीयन अनुसार दुरुस्त कराना सुनिश्चित करें।
12. वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण अथवा कार्यवाही की जाना अनिवार्य है तो वक्फ की सुरक्षा एवं न्यायालय में वक्फ की ओर से अधिवक्ता नियुक्त करने से पूर्व वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
13. वक्फ के हितों की सुरक्षा से संबंधित न्यायालयीन मामलों प्रतिरक्षण हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस का व्यय संबंधित कमेटी द्वारा का वहन किया जायेगा।
14. प्रबंध कमेटी द्वारा किसी किरायेदार/अतिक्रामक आदि के विरुद्ध वक्फ अधिनियम के प्रावधान अनुसार विधिक कार्यवाही कमेटी द्वारा वक्फ बोर्ड के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में की जावेगी। जिसमें वक्फ बोर्ड को प्रावधान अनुसार पक्षकार बनाना आवश्यक होगा। समय-समय पर सभी मुकदमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी वक्फ बोर्ड को दी जावे।

15. वक्फ सम्पत्ति में हुए स्थाई निर्माण कार्य तथा विकास कार्य आदि की प्रविष्टी वक्फ बोर्ड में एवं स्थानीय निकाय/राजस्व अभिलेखों में तुरंत करायें। बगैर बोर्ड की अनुमति कोई निर्माण न किया जावे।
16. इस प्रबंध समिति के अधिपत्य में आने वाली ऐसी समस्त सम्पत्तियों जो वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में विधिवत पंजीकृत नहीं है को प्राथमिकता के आधार पर शासकीय राजस्व अभिलेखों में वक्फ बोर्ड के पक्ष में दाखिल खारिज करायेंगे तथा बोर्ड के अभिलेखों में विधिवत पंजीकृत कराएगी।
17. इस कमेटी के अधिपत्य में आने वाली समस्त सम्पत्तियों पर सी.सी.टी.वी. मय साउण्ड रिकार्डिंग सिस्टम जिसमें कि 15 दिवस की रिकार्डिंग सेव रहने की सुविधा हो यथा संभव स्थापित करायेगी तथा इसकी लिखित सूचना जिला कलेक्टर, क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्रीय पुलिस थाने को देगी।
18. यह कमेटी प्राथमिकता के आधार पर ऐसी समस्त सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्री वाल/फेंसिंग आदि की व्यवस्था करेगी जहाँ ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। इस हेतु इस पर होने वाले व्यय की वित्तीय व्यवस्था स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निधि एवं जनसहयोग आदि से करेगी। नियमानुसार इस राशि के व्यय का लेखा जोखा रखा जायेगा।
19. यदि कमेटी पदाधिकारी इस्तीफा देता है तो तत्काल इसकी सूचना दी जावे।
20. धारा 62 के तहत कमेटी को अपने निजी बचाव हेतु वाद, अपील, रिवीजन आदि पर वक्फ की आय में से व्यय करना पूर्णतः वर्जित है। कृपया इस नियम का कड़ाई से पालन किया जावे।
21. वक्फ भूमि का रिकार्ड दुरुस्ती पश्चात सीमांकन करवाकर यथासंभव उस की हदबन्दी करवाई जावे। वक्फ सम्पत्ति पर कमेटी/मुतवल्ली का नाम सरकारी रिकार्ड में किसी भी हाल में दर्ज न किया जावे केवल प्रबन्धक वक्फ बोर्ड ही दर्ज करावे। यदि पूर्व में मुतवल्ली दर्ज हो तो फौरन नाम हटावे। वक्फ सम्पत्ति का नकशा (ब्लू प्रिन्ट) पटवारी रिकार्ड की सत्यापित प्रति तथा वर्तमान फोटोग्राफ दिनांक डाल कर वक्फ बोर्ड को प्रेषित करें।
22. वक्फ सम्पत्ति पर एक बोर्ड लगवाया जावे जिसमें वक्फ बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप को हरे रंग पर सफेद पेन्ट से लिखवाया जाये। बोर्ड 3x2 साईज का होगा। जिसमें

1	राजिस्ट्रेशन न. क्र.	2	वक्फ का नाम
3	वाक़िफ़ की मंशा	4	वक्फ सम्पत्ति का विवरण।

23. वक्फ के वर्तमान किरायदारों, बकायादारों तथा अतिक्रमणकर्ता के नाम मय वल्विद्यत, पते, व्यवसाय तथा किराये की मासिक राशि बकाया, किराया, अवधि आदि विवरण तुरंत बोर्ड को प्रेषित करें एवं समय समय पर भेजते रहें। ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके।
24. वक्फ के संबंध में न्यायालय में चलने वाले प्रकरणों की जानकारी बोर्ड को तत्काल भेजें। यदि कोई वक्फ अस्तित्वहीन हो गया है या न्यायालयीन निर्णय अनुसार वक्फ से खारिज हो गया है तो उसकी भी जानकारी आवश्यक रूप से भेजी जावे।
25. बोर्ड द्वारा निर्देशित लेखा पुस्तकें तथा पंजीयों अद्यतन रखें। समस्त पत्रों/समाचार की नस्तियां भी संधारित करें।
26. मस्जिद के मामले में किसी व्यक्ति या समूह को नमाज पढ़ने से न रोकें। तथा अपने अपने मसलक के अनुसार शांति से नमाज करें। अन्यथा कमेटी भंग कर क्रिमिनल प्रकरण की कार्यवाही की जावेगी। परस्पर विवादों को तहसील जिला कमेटी की मदद से स्थल पर ही सुलझाया जावे। अत्यावश्यक होने पर प्रशासन की मदद ली जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुतवल्ली कमेटी वक्फ सम्पत्ति के केवल प्रबंधक हैं, मालिक नहीं। अतः किसी किसम का झगडा उत्पन्न न करें। इसके विकास की योजना बनावें।
27. बोर्ड द्वारा चाही गई सारी जानकारियों/हिसाब निर्देशित समयावधि में प्रस्तुत किये जावें। यदि उपरोक्त कार्य न किये गये हों तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर किया जावे एवं उनका रिकार्ड वक्फ कार्यालय में सुरक्षित रखा जाये तथा एक प्रति में इस कार्यालय को भी जानकारी भेजी जावे। अनावश्यक पत्राचार, डाक खर्च व वकील फीस में वक्फ की आय खर्च न की जावे।
28. यदि वक्फ बोर्ड ऐसे वक्फ को सीधे अपने नियंत्रण में लेता है तो कमेटी स्वतः समाप्त हो जायेगी।
29. यदि वक्फ की सम्पत्ति का राजस्व रिकार्ड में शासन दर्ज हो गया होतो उसको विलोपित कराते हुए वक्फ सम्पत्ति अहस्तांतरणीय म.प्र. वक्फ बोर्ड दर्ज कराएं।
30. यदि वक्फ की कृषि भूमि शासन द्वारा अर्जित की गई हो तो अर्जित की गई भूमि का मुआवज़ा राशि का भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. वक्फ बोर्ड को करावें।
31. यह कमेटी निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात काम चलाऊ (केयरटेकर) के रूप में केवल सामान्य दैनिक कामकाज को सुचारु रूप से क्रियान्वित करेगी। नई कमेटी गठन होने पर यह काम चलाऊ (केयरटेकर) कमेटी नई कमेटी को सम्पूर्ण कार्यभार विधिवत सौंप देगी। अन्यथा की स्थिति में कमेटी का यह कृत्य स्कीम बराये इतेजाम इंसेराम औकाफ के प्रावधान क. 5 के अनुसार अमानत में ख्यानत माना जायेगा तथा संलग्न कार्यप्रणाली एवं शर्तों के क. 32 एवं शपथपूर्वक घोषणा पत्र दिनांक की कंडिका क. 16 अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
32. इस आदेश से गठित कमेटी के अध्यक्ष एवं कमेटी सदस्यों द्वारा इस आदेश में उल्लेखित शर्तों एवं निर्देशों तथा कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा प्रस्तुत शपथपूर्वक घोषणाओं का पालन न करने अथवा शपथपूर्वक घोषणा पत्र द्वारा घोषित घोषणाओं के विपरीत कार्यवाही करते हैं तो वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 के प्रावधानों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (आई.पी.सी. की धारा 406 एवं 409) के प्रावधानों के अंतर्गत कमेटी के समस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने एवं कमेटी से पृथक करने के लिए स्वतंत्र होगा।

वास्ते म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

शपथ-पत्र (प्रारूप)

मैं.....आत्मज.....आयु.....
निवासी: मकान नं मोहल्ला
पुलिस स्टेशनतहसील जिला
पिनकोडमोब नं. ई-मेल.....

शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :-

- 1 यह कि अल्लाह पाक परवरदिगार के नाम से कायम इस वक्फ संपत्ति की प्रबंध कमेटी में के पद की जिम्मेदारियाँ उठाने ओर पूरी ईमानदारी से अंजाम देने के लिए काम करने के लिए मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।
- 2 मेरे समक्ष यह पूर्णतः स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड द्वारा यह कमेटी वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 18(1)(2) के प्रावधान अनुसार वक्फ बोर्ड को प्राप्त शक्तियों के आधार पर गठित की जायेगी। इस वक्फ कमेटी का गठन, गठन आदेश में उल्लेखित निर्धारित अवधि के लिए है तथा इस कमेटी में सदैव बने रहना मेरा अधिकार नहीं है।
- 3 मैं इस गठन आदेश के पूर्व कभी भी इस वक्फ के वाकिफ की मंशा अनुसार अथवा परिपाटीवश अथवा किसी अन्य प्रयोजन से मुतवल्ली, मुजाविर, प्रबंधक अथवा मुहाफिज़ नियुक्त नहीं किया गया हूँ।
- 4 मैं वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता हूँ कि अगर मैं वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों एवं वक्फ बोर्ड के आदेशों, निर्देशों की अवहेलना करूँ तो वक्फ बोर्ड मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- 5 यह कि वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ कमेटी गठन आदेश (प्रारूप) से संलग्न परिशिष्ट-1 "कार्यप्रणाली एवं शर्तें" बिन्दु क्र. 01 से लगायत 32 जो वक्फ कमेटी गठन आदेश का भाग हैं। जो मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट पर दर्शित है एवं सूचना पटल पर चस्पा है का अध्ययन मेरे द्वारा किया गया है, कमेटी का गठन हमारे प्रस्ताव अनुसार होने पर इनका पालन मेरे द्वारा पूर्ण रूप से किया जावेगा। अन्यथा की स्थिति में वक्फ बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक, वैधानिक, वक्फ अधिनियम के प्रावधानों एवं भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 6 मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि:-
 - 6(1) कि मैं किसी अन्य वक्फ कमेटी में सदस्य या पदाधिकारी के रूप में सम्मिलित नहीं हूँ।
 - 6(2) कि मेरे द्वारा किसी वक्फ संपत्ति पर अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं किया गया है।
 - 6(3) कि मैं किसी वक्फ की दुकान, मकान, इमारत या ज़मीन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किरायेदार नहीं हूँ।
 - 6(4) कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक/नैतिक पतन का प्रकरण नहीं चल रहा है।
 - 6(5) कि मुझे किसी भी जुर्म के विरुद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दण्डित नहीं किया गया है।
 - 6(6) कि मुझे किसी भी वक्फ के मुतवल्ली के पद या कमेटी की सदस्यता से पूर्व में कभी भी निष्कासित नहीं किया गया है।

- 6(7) कि मैं मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ तथा कि मुझे कभी भी मानसिक रूप से विकसित (पागल) घोषित नहीं किया गया है।
- 6(8) कि मैं स्वयं (स्वघोषित) के द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकृत विधिक एजेन्सी अथवा न्यायालय द्वारा कभी भी दीवालिया घोषित नहीं किया गया हूँ।
- 7 कि हमारी कमेटी गठित होने की स्थिति में मैं वक्फ से प्राप्त आय को नियमानुसार वक्फ के अधिकारिक ज्वाइंट बैंक खाते में जमा करूंगा। फिर खर्च के लिये बैंक से राशि निकाल कर वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 44 के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार व्यय करूंगा। इसके अतिरिक्त वक्फ को अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय जैसे गुल्लक, जुमा, ईदुलफितर की नमाजें, कुर्बानी की खाल नीलामी आदि एवं अन्य अवसरों पर प्राप्त/जमा चंदा-राशि भी सीधे बैंक में जमा कराई जायेगी। किसी भी स्थिति में वक्फ को प्राप्त नगद राशि तीन दिन से अधिक कार्यालय में नहीं रखी जायेगी अर्थात् वक्फ को प्राप्त होने वाली समस्त राशियाँ अविलम्ब वक्फ के बैंक खाते में जमा कराई जायेंगी। तथा बैंक के माध्यम से ही भुगतान की जावेंगी।
- 8 कि मेरे द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46 एवं 72 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये बजट 31 दिसंबर तक तथा आय-व्यय पत्रक 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से भेजा जायेगा।
- 9 कि मेरे द्वारा वक्फ अधिनियम की धारा 72 के प्रावधान अनुसार वार्षिक चंदा निगरानी वक्फ की शुद्ध आय का 7 प्रतिशत भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक बोर्ड को भुगतान की जावेगी।
- 10 कि मेरे द्वारा धारा-51 वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ सम्पत्ति रहन, बय, हिबा, हस्तांतरित या लीज़ पर बिना वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के किसी के भी पक्ष में पंजीकृत नहीं की जावेगी।
- 11 यह कि मेरे द्वारा वक्फ बोर्ड की बिना अनुमति के कमेटी के अधिपत्य में उपलब्ध कोई भी सम्पत्ति किसी भी तरह से किसी एजेन्सी, संस्था, व्यक्ति आदि को विक्रय करना अथवा नवीन सम्पत्ति का क्रय नहीं किया जाएगा।
- 12 कि मेरे द्वारा वक्फ सम्पत्ति में हुए स्थाई निर्माण कार्य तथा विकास कार्य आदि की प्रविष्टी वक्फ बोर्ड में एवं स्थानीय निकाय/राजस्व अभिलेखों में तुरंत कराई जायेगी एवं बगैर बोर्ड एवं स्थानीय निकायों की अनुमति के कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 13 कि यदि कमेटी का कोई पदाधिकारी इस्तीफा देता है तो तत्काल इसकी सूचना मेरे द्वारा वक्फ बोर्ड को दी जावेगी।
- 14 कि बोर्ड द्वारा वक्फ के संबंध में चाही गई समस्त जानकारियाँ जैसे सम्पत्ति की जानकारियाँ, आय-व्यय आदि की जानकारी, निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जावेंगी।
- 15 यह कि वक्फ बोर्ड द्वारा इस कमेटी का गठन किए जाने की स्थिति में कमेटी गठन आदेश में निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व यदि किन्ही कारणों से कमेटी को अतिष्ठित किया जाता है अथवा वक्फ बोर्ड इस वक्फ को सीधे अपने नियंत्रण में लेता है तो हमारी प्रबंध कमेटी स्वतः समाप्त हो जावेगी एवं हमे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी तथा वक्फ बोर्ड का आदेश मेरे लिए स्वीकार होगा।
- 16 यह कि वक्फ बोर्ड द्वारा इस कमेटी का गठन किए जाने की स्थिति में कमेटी गठन आदेश में निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने पश्चात मेरे-हमारे अलावा किसी अन्य की समिति गठित की

जाती है तो मैं नवगठित कमेटी को तीन दिवस में वक्फ का चार्ज सौंपकर कार्यालय वक्फ बोर्ड को सूचित करूंगा। यदि मेरे द्वारा नवगठित कमेटी को चार्ज देने में विलंब या हीला हवाला किया जाता है, तो मेरे इस कृत्य को बोर्ड के आदेशों की अवहेलना तथा अमानत में ख्यानत मानते हुए मेरे-हमारे विरुद्ध वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 के प्रावधानों के अनुसार एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (आई.पी.सी. की धारा 406 एवं 409) के तहत वक्फ बोर्ड कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। बोर्ड की इस कार्यवाही पर मुझे-हमे कोई आपत्ति नहीं होगी।

- 17 यह कि वक्फ बोर्ड द्वारा इस कमेटी का गठन किए जाने की स्थिति में कमेटी गठन आदेश में निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात आवश्यकता पढ़ने पर हमारी कमेटी काम चलाऊ (केयरटेकर) कमेटी के रूप में केवल सामान्य दैनिक कामकाज को सुचारू रूप से क्रियान्वित करेगी। नई कमेटी गठन होने पर यह काम चलाऊ (केयरटेकर) कमेटी नई कमेटी को सम्पूर्ण कार्यभार तीन कार्य दिवस में विधिवत सौंप देगी। अन्यथा की स्थिति में कमेटी का यह कृत्य स्कीम बराये इंतैजाम इंसेराम औकाफ के बिन्दु क्र. 5 के अनुसार अमानत में ख्यानत माना जायेगा तथा संलग्न कार्यप्रणाली एवं शर्तों के बिन्दु क्र. 32 एवं इस शपथपूर्वक घोषणा के बिन्दु क्र. 16 में वर्णित घोषणा अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त घोषणाएं मैं अपने पूरे होश व हवास में तथा उपरोक्त वर्णित क्र. 01 से लगायत 17 तक घोषणाओं को पढ़ सुनकर तथा समझकर घोषित करता हूँ तथा यह भी घोषित करता हूँ कि उपरोक्त घोषणाओं में मेरे द्वारा कोई जानकारी नहीं छुपाई गई है और न ही कोई गलत जानकारी दी गई है। यदि उपरोक्त घोषणाओं में कोई जानकारी गलत पाई जाती है या मैं इस घोषणा पत्र द्वारा घोषित घोषणाओं के विपरीत कार्यवाही करता हूँ तो उपरोक्त कंडिकाओं अनुसार वक्फ बोर्ड मेरे विरुद्ध वक्फ अधिनियम के प्रावधानों एवं कानूनी तथा दण्डात्मक कार्यवाही करने और मुझे कमेटी से पृथक करने के लिये स्वतंत्र होगा। जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

गवाह 1.

()

2.

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि चरण क्र. 01 से लगायत 17 की जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी के आधार पर सत्य एवं सही है।

यह सत्यापन आज दिनांक को में किया गया।

शपथकर्ता